प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बागपत ग्लोबल स्कूल,
मीतली गौरीपुर (बागपत)

पत्रांक/मान्यता/ 15938-39 /2018–19 दिनांक 23-02-2019

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, नियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 07.07.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार, श्री विरेन्द्रपाल, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र बागपत के निरीक्षण एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ की अध्यक्षता वाली गठित मान्यता समिति में लिए गये निर्णय के प्रति दिये गये निर्देश से, मै बागपत ग्लोबल स्कूल, मीतली गौरीपुर (बागपत) को दिनांक 07.04.2018 से 06.04.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक(अंग्रजी माध्यम) तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध–01) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010(उपाबंध–02) के उपबंधो का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
04. पैरा 03 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक या उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा।
    (1) प्रवेश दिएं गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
    (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पुरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गयें अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है।

(8) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेगें।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाद्यकम का पालन करेगा।

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गयी प्रसुविधाए निम्नानुसार है–

विद्यालय परिसार का क्षेत्रफल – 6100.00 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र – 1712.00 वर्ग मी0
कीडा स्थल का क्षेत्रफल –
कक्षाओं की संख्या – 14 कक्ष
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष – हॉ
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – हॉ
पेयजल सुविधा – हॉ
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– हॉ
बाधा रहित पहुंच – हॉ
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्कारों/पुस्तकालय की उपलब्धता – हॉ.

09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 या 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, या व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकांउटैन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 2018–19 **UPS-70** (अंग्रजी माध्यम) है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करना है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबधों शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

17. आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो एवं तथ्यों के आधार पर मान्यता प्रदान की गयी है। यदि आप द्वारा कूट रचित अभिलेख एवं तथ्य प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त की है, तो कूट रचना संज्ञान में आने पर अथवा विभागीय नियमों का पालन न करने के कारण विभाग द्वारा प्रदान की गयी मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

18. प्रति छात्र–छात्राओ की बैठन हेतु 09 वर्ग फुट का स्थान उपलब्ध कराया जाये।

19. मान्यता पत्रावली में संलग्न समस्त पत्राजात के सत्य होने का दस रूपये का नोटरी शपथ पत्र सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

भवदीय,

23.2.19

(राजीव रंजन कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

पृ0स0/मान्यता/ /2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विद्यालय के भवन तथा पत्रावली में संलग्न पत्राजातों/अभिलेखो का मिलान मूल प्रति से कर विद्यालय का नियमानुसार संचालन कराये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

PDF Scanner ACE Scanner

6th To 12th Original मान्यता

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,
बागपत ग्लोबल स्कूल,
मीतली गौरीपुर, बागपत

पत्रांक : मा0शि0प0 / मान्यता / मे0 / 717 दिनांक – 07 नवम्बर, 2022

विषय : सीधे हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (6–12) मानविकी एवं वैज्ञानिक वर्ग नवीन तथा कम्प्यूटर विषय अतिरिक्त की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या: 2142 / 15–7–2022–1(62) / 2021 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, दिनांक 01 नवम्बर, 2022 लखनऊ के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम–1921 (यथा संशोधित–2022) की धारा 7 (4) के अन्तर्गत आपकी संस्था **बागपत ग्लोबल स्कूल मीतली गौरीपुर, बागपत** को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की परीक्षा वर्ष 2025 की हाईस्कूल के अधीन सभी अनिवार्य एंव वैकल्पिक विषयों तथा इण्टरमीडिएट के निम्नलिखित वर्ग / विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ अधिनियम की धारा 7क(क) के अधीन एक साथ नवीन / अति0वर्ग / विषय में वित्त विहीन मान्यता प्रदान किया गया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

1. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7क(क) के प्राविधानो के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन / अतिरिक्त वर्ग / विषय की प्रदत्त मान्यता कक्षा 9 / 11 की कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था ,साज–सज्जा ,शिक्षण सामग्री ,प्रयोगशाला, भूमि / ,भवन ,पुस्तकालय ,प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धो की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत कराये।
2. इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को कक्षा 9 / 11 कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।
3. इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
4. नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर प्रभावी होगा।
5. इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण अनिवार्य होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरुप भवन निर्माण होने का प्रमाण जो प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई अनियमितता पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

कृ0पृ0उ0

(ख) संस्थः द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ग) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एंव कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक/परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(घ) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य नहीं होंगी।

(ड़) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रु0 13000/-(रुपये 5000 हजार प्रति वर्ग तथा रु0 3000 प्रति विषय अतिरिक्त की दर से) विद्यालय के नाम एवं जि0वि0नि0 के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(च) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में योजित क्लियरीफिकेशन एप्लीकेशन में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
हाईस्कूल (6–10)	नवीन पाठ्यक्रमानुसार समस्त अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषय। तथा	
इण्टर मानविकी वर्ग–	हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र।	
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग– नवीन	सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान,जीवविज्ञान। तथा कम्प्यूटर विषय अतिरिक्त।	

टिप्पणी – इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय

(कमलेश कुमार)
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 मेरठ

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/मान्यता /मे0/ 717 (1–5) दिनांक –07 नवम्बर, 2022

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
3 मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल मेरठ।
4 जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत।
5 परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

(कमलेश कुमार)
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद